खण्ड -15 संख्या -20

1251
02/02/16

एकादश
बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग-2

कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

बुधवार, तिथि 21 अप्रैल, 1999 ई०

सत्यमेव जयते

(ट) प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई

श्री सधनु भगत : महोदय, अत्यावश्यक लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु विषय को सभा की बैठक में रखने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ ।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवमुंडी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी असीम रंजन एक्का अपनी नौकरानी सुश्री सुशीला दास का अस्मत लूटा, उसने एक बच्ची को जन्म दिया । सुश्री दास भटक रही है । श्री एक्का को तत्काल स्थानान्तरण करने, मामला की जांच करने और कार्रवाई करने की मांग करता हूँ । बी०डी०ओ० लड़की को डरा धमका रहा है और लोगों को भी डरा धमका रहा है ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : सरकार इस सूचना को ग्रहण करती है ।

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है । मुझे इसकी जानकारी है कि इस मामले को पहले भी उठाया गया था । जब इस मामले को उठाया गया तो कुछ लोगों पर केस कर दिया गया । अविलम्ब बी०डी०ओ० को ससपेन्ड कर देना चाहिये, इस पर कार्रवाई करनी चाहिये । मैं आपसे आग्रह करूँगा कि ऐसे बी०डी०ओ० के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाय, उनको निलंबित किया जाय ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : माननीय सदस्य श्री सधनु भगत और नेता विरोधी दल ने शून्यकाल के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ आचरण के संबंध में जो सूचना दी है सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है । मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ कि अगर वह इस तरह के होंगे तो उनको सरकार निलंबित

करेगी और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करेगी ।

(ठ) अनुग्रह राशि का भुगतान

श्री खगेन्द्र प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, जिला हजारीबाग, थाना बरकट्ठा के ग्राम के गंगपाचो, पंचकंकी चौक पर दिनांक 22.3.98 को एम० सी०सी० उग्रवादियों के अंधाधुंध गोली चलाने से वकील महतो एवं राजेन्द्र चौधरी नामक दो ग्रामीण मारे गये थे जिन्हें आज तक सरकार घोषणा के बावजूद एक एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि नहीं दी गयी है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, यह गम्भीर घटना है, मानीय सदस्य पर आक्रमण का मामला है, इसपर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री खगेन्द्र प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, दो व्यक्ति मारे गये, डी०आई०जी० गये, कमिश्नर गये, 10-10 हजार रुपया दिया गया और घोषणा किया गया, चूँकि उनके परिवार में उनकी पत्नी और छोटे-छोटे बच्चों के अलावा कोई नहीं है, घोषणा किया गया कि एक-एक लाख रुपया दिया जायेगा, इसके लिए उन्होंने लिखा भी लेकिन एक भी पैसा का भुगतान आज तक नहीं किया गया है । महोदय, दो अनाथ महिलाओं का सवाल है, महोदय, 26 तारीख को डेट तय हुआ था लेकिन हाउस एडजॉर्न हो गया इसलिए नहीं हुआ ।

श्री शिवनाथ वर्मा : महोदय, अप्रैल, 98 से वह प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है, यह बहुत गम्भीर मामला है, उनको शीघ्र पैसा दिलाया जाय और जो पेण्डिंग मामला है, उसका डिस्पोजल कराया जाय ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, सरकार जाँच करा लेगी और लम्बित मामले के त्वरित निष्पादन के लिए कार्रवाई करेगी ।